प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 दिसम्बर, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी साहबदीन उर्फ गब्बे पुत्र श्री परशुराम, निवासी जनपद-बहराइच की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7419/प्रोवेशन-3/फार्म-ए/(एम-10.01.2022) दिनांक-09.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी साहबदीन उर्फ गब्बे पुत्र श्री परशुराम, ग्राम-विशुनपुर टेढ़ी, थाना-हुजूरपुर, जनपद-बहराइच का निवासी है। बंदी ने दिनांक 10.02.2006 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के बड़े भाई मो0 हासिम व भतीजे आरिफ की घर में लूटपाट कर चाकू मारकर दोनों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण (1)-संख्या-614/2006, में भा0द0वि0 की धारा-302, 394, 411 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-04, लखनऊ के आदेश दिनांक 17.04.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया एवं (2)-केस नं0-04, लखनऊ के आदेश दिनांक 17.04.2009 द्वारा जज गैगेस्टर एक्ट, लखनऊ के आदेश दिनांक 15.11.2014 द्वारा 09 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के समक्ष विचाराधीन है। दिनांक 05.08.2021 तक 15 वर्ष, 05 माह, 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 02 माह, 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुए भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी के भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना होने का अंकिन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 10.02.2006 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के बड़े भाई मो0 हासिम व भतीक्षा आरिफ के घर में लूटपाट कर चाकू मारकर दोनों व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी साहबदीन उर्फ गब्बे पुत्र श्री परशुराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी साहबदीन उर्फ गब्बे(बन्दी संख्या-123/2017) पुत्र श्री परशुराम, निवासी जनपद-बहराइच के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-172/2022/489(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-172/2022/489/22-2-2022-17(488)/2022

दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी साहबदीन उर्फ गब्बे पुत्र श्री परशुराम, ग्राम-विशुनपुर टेढ़ी, थाना-हुजूरपुर, जनपद-बहराइच का निवासी है। बंदी ने दिनांक 10.02.2006 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के बड़े भाई मो0 हासिम व भतीजे आरिफ की घर में लूटपाट कर चाकू मारकर दोनों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण (1)-संख्या-614/2006, में भा0द0वि0 की धारा-302,394,411 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-04, लखनऊ के आदेश दिनांक 17.04.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया एवं (2)-केस नं0-04, लखनऊ के आदेश दिनांक 17.04.2009 द्वारा जज गैगेस्टर एक्ट, लखनऊ के आदेश दिनांक 15.11.2014 द्वारा 09 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के समक्ष विचाराधीन है। दिनांक 05.08.2021 तक 15 वर्ष, 05 माह, 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 02 माह, 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुए भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी के भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना होने का अंकिन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 10.02.2006 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के बड़े भाई मो0 हासिम व भतीक्षा आरिफ के घर में लूटपाट कर चाकू मारकर दोनों व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी साहबदीन उर्फ गब्बे पुत्र श्री परशुराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।